



# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-137 / 2020-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

विकाश पाहन  
इमिल जेम्स संग्रा

- विक्रेता  
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित														
05.11.20	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक विकाश पाहन पिता स्व० गणेश पाहन ग्राम-बेलाहाथी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने इमिल जेम्स संग्रा पिता जस्टिन जॉन संग्रा ग्राम-नयालडीह, पो०-फुदी, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(डीसमील में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">बेलाहाथी</td> <td rowspan="3">91</td> <td rowspan="3">42</td> <td>562</td> <td>12.13</td> </tr> <tr> <td>563</td> <td>12.87</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0113617974 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 881 दिनांक 29.10.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम मंगरा पाहन वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार लुम्बा पाहन के नाम भूमि का 14.27 एकड़ है। आवेदक के कुल रकबा 3.14 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 5574.00(पांच हजार पांच सौ चौहत्तर)रु० प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.89 एकड़ रह जाती है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण विकाश पाहन पिता स्व० गणेश पाहन को इमिल जेम्स संग्रा पिता जस्टिन जॉन संग्रा के साथ ग्राम बेलाहाथी के खाता सं० 42 खेसरा संख्या 562, 563 का कुल रकबा 25.00 डीसमील भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 5574.00(पांच हजार पांच सौ चौहत्तर)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(डीसमील में)	बेलाहाथी	91	42	562	12.13	563	12.87		25.00	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(डीसमील में)												
बेलाहाथी	91	42	562	12.13												
			563	12.87												
				25.00												